अर्धवार्षिक हिंदी ई-पत्रिका

कृषि ज्ञान सुधा

जुलाई 2025 अंक

ISBN: 987-93-343-6466-8 कृषि ज्ञान सुधा - जुलाई 2025

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (CIB&RC) की वेबसाइट पर उपलब्ध पीड़कनाशीयों एवं पीड़क नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का सारांश

ऐबरन सिंह कुशवाह[1], नीरज पतंजलि[1], प्रिया सैनी[1] एवं रंदीप कुमार[2]

[1]कृषि रसायन संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012

[2]मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-813210, बिहार

सारांश

यह लेख "भारत में पीड़कनाशकों के अनुशंसित प्रयोगों के बारे में जानकारी कहाँ से एवं कैसे प्राप्त करें" भारतीय किसानों को वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक स्रोतों से कीटनाशकों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अक्सर किसान भ्रमित रहते हैं कि किस फसल पर किस पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। इस संदर्भ में, भारत सरकार का वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage - PPQS) एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी वेबसाइट पर पंजीकृत, प्रतिबंधित एवं सीमित प्रयोग वाले कीटनाशकों की सूची, उनके फॉर्मूलेशन और अनुशंसित प्रयोग उपलब्ध हैं। वेबसाइट के माध्यम से किसान विभिन्न फसलों पर प्रयोग हेतु स्वीकृत कीटनाशकों की सूची प्राप्त कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर संस्तुत की जाती है। इसके अलावा, कुछ पीड़कनाशकों का सीमित उपयोग (जैसे कि सरकारी निगरानी में एल्युमिनियम फास्फाइड या केवल बीजोपचार में कैप्टाफोल) तथा कुछ पीड़कनाशकों का पूर्ण प्रतिबंध (जैसे ट्राईफ्लुरालिन) भी निर्दिष्ट है।

बहुत से किसान भाई अक्सर यह जानने के इच्छुक होते है कि किस पीड़क के लिए कौन सा पीड़कनाशी प्रयोग किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। परंतु इसके सटीक स्त्रोत की जानकारी के अभाव में इधर-उधर भटकते रहते है। अतः किसान भाइयों की इस समस्या के निवारण के लिए यह लेख लिखा जा रहा है। कीटनाशक अधिनियम (1968) के प्रभावी प्रवर्तन के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (Central Insecticides Board and Registration Committee) का गठन किया गया था। किसान भाई वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage) की वेबसाइट (website) पर जाकर भारतवर्ष में पंजीकृत एवं प्रतिबंधित पीड़कनाशकों की सूचि प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलों में विभिन्न पीड़कनाशीयों के अनुशंसित प्रयोगों एवं दर की जानकारी भी किसान भाई यहाँ से प्राप्त कर सकते है। वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध पीड़कनाशीयों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है।

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की वेबसाइट पर कैसे जायें?

अंग्रेजी के लिए वेबसाइट का लिंक है https://ppqs.gov.in/

हिंदी के लिए वेबसाइट का लिंक है https://ppqs.gov.in/hi

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा जानकारी को कैसे प्राप्त करें?

ऊपर दिए गये लिंक पर जायें वहाँ पर विभाग (division) लिखा दिखाई देगा उस पर क्लिक (click) करने के बाद केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (Central Insecticides Board and Registration Committee) पर जायें जहाँ आप पीड़कनाशीयों एवं पीड़क प्रबंधन से संबंधित महतवपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते है यहाँ मौजूद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नलिखित है :

ISBN: 987-93-343-6466-8 कृषि ज्ञान सुधा - जुलाई 2025

भारतवर्ष में पंजीकृत पीड़कनाशीयों की सूचि

भारतवर्ष में कोई भी पीड़कनाशी जब तक केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता तब तक उसका देश के किसी भी भाग में व्यावसायिक कृषि में प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारत में पंजीकृत सभी पीड़कनाशीयों की सूचि निम्नलिखित लिंक द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

https://ppqs.gov.in/sites/default/files/list_of_pesticides_as_on_31.03.2025_0.pdf **accessed on 30 june 2025**

भारतवर्ष में पंजीकृत पीड़कनाशी सूत्रणों (pesticide formulations) की सूचि

कृषि में प्रयुक्त होने वाले पीड़कनाशी एक या एक से अधिक सूत्रणों में उपलब्ध हो सकते है। इन सभी पीड़कनाशी सूत्रणों का पंजीकरण भी केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा किया जाता है। भारत में पंजीकृत सभी पीड़कनाशी सूत्रणों की सूचि निम्नलिखित लिंक द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

https://ppqs.gov.in/sites/default/files/pesticide_formulations_registered_as_on_31.03.2025.pdf **accessed on 30 june 2025**

चित्र 1- बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न पीड़कनाशी सूत्रण

भारतवर्ष में पंजीकृत पीड़कनाशीयों के अनुसंशित प्रयोगों की जानकारी

कोई पीड़कनाशी किन फ़सलों पर एवं किन पीड़कों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाना है इसका निर्धारण वैज्ञानिक शोधों के आधार पर किया जाता है। जिस से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी पीड़कनाशी के प्रयोगों की संस्तुति की जाती है। पीड़क नियंत्रण का पहला क़दम पीड़क की पहचान है। एक बार पीड़क की पहचान हो जाने पर ही उसके लिए अनुशंसित पीड़कनाशी का प्रयोग उस पीड़क के नियंत्रण के लिए किया जाता है। यदि हम गलत पीड़क के लिए गैर- अनुशंसित पीड़कनाशीयों का प्रयोग करेंगे तो उचित पीड़क नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सकता। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा विभिन्न कीटनाशकों, फफूंदनाशीयों, खर-पतवारनाशीयों, पादप विकास नियंत्रको (Plant Growth Regulator) एवं जैव- पीड़कनाशीयों (Biopesticides) के अनुशंसित प्रयोगों को सूचीबद्ध किया हुआ है जिसके अनुसार ही किसी पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। पीड़कनाशीयों के अनुसंशित प्रयोगों की सूचियाँ नीचे दिए गए लिंक द्वारा वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की वेबसाइट (website) द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

https://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/major-uses-of-pesticides accessed on 30 june 2025

भारतवर्ष में सीमित प्रयोग (restricted use) के लिए पंजीकृत पीड़कनाशी

कुछ पीड़कनाशी ऐसे होते है जो केवल सिमित प्रयोग के लिए ही पंजीकृत किये जाते है। अतः इनका प्रयोग अनुशंसित प्रयोगों के अलावा कहीं भी करना वर्जित होता है। वर्त्तमान में भारत में 16 पीड़कनाशी सीमित प्रयोग की श्रेणी में आते है। नीचे तालिका में इन पीड़कनाशीयों से संबंधित सीमित प्रयोगों के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है।

ISBN: 987-93-343-6466-8 कृषि ज्ञान सुधा - जुलाई 2025

तालिका 1: भारतवर्ष में सीमित प्रयोग के लिए पंजीकृत पीड़कनाशी

क्रमांक	पीड़कनाशी	सीमित प्रयोग
1.	एल्युमीनियम फास्फाइड (Aluminium phosphide)	इसका प्रयोग केवल सरकार / सरकारी उपक्रमो / सरकारी संगठनो / कीट नियंत्रण ऑपरेटरpest) (control operator द्वारा सरकारी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ जिनकी विशेषज्ञता को भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार)Plant Protection Advisorto (GOIद्वारा अनुमोदित किया गया है की कड़ी निगरानी में ही किया जा सकता है।
2.	कैप्टाफोल (Captafol)	इसका पत्तियों पर स्प्रे के रूप में प्रयोग प्रतिबंधित है एवं इसे केवल केवल बीजोपचार (seed dressing) में प्रयोग किया जा सकता है।
3.	कार्बोफ्यूरान (Carbofuran)	कार्बोफ्यूरान तीन प्रतिशत एनकैप्सुलेटेड ग्रेन्युल (सीजी) को छोड़कर कार्बोफ्यूरान के सभी अन्य फॉर्मूलेशन और फसल लेबल का प्रयोग बंद किया जा सकता है
4.	क्लोरपाइरीफॉस (Chlorpyriphos)	क्लोरपाइरीफॉस का प्रयोग बेर, नींबू और तम्बाकू में प्रतिबंधित है।
5.	सायपरमेथ्रिन (Cypermethrin)	इसके 3% स्मोक जेनरेटर का प्रयोग कीट नियंत्रण ऑपरेटरों द्वारा ही किया जा सकता है एवं आम जनता द्वारा इसके प्रयोग की अनुमति नहीं है।
6.	डेज़ोमेट (Dazomat)	इसके प्रयोग की अनुमति चाय की खेती में नहीं है।
7.	डी.डी.टी. (D.D.T.)	किसी भी बड़े प्रकोप या महामारी के मामले को छोड़कर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए डीडीटी का प्रयोग प्रति वर्ष 10,000 मीट्रिक टन तक सीमित है। भारत में केवल हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ही डीडीटी का निर्माण कर सकता है। अन्य देशों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्य के लिए इसका निर्यात स्टॉकहोम कन्वेंशन (Stockholm Convention) के अनुसार ही किया जा सकता है।
8.	डाइमीथोएट (Dimethoate)	कच्चे खाद्य पदार्थों के रूप में खाए जाने वाले फलों और सब्जियों में डाइमीथोएट का प्रयोग प्रतिबंधित है।
9.	फैनिट्रोथायोन (Fenitrothion)	अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण के लिए एवं सार्वजनिक स्वास्थय के क्षेत्र में प्रयोग को

ISBN: 987-93-343-6466-8 कृषि ज्ञान सुधा - जुलाई 2025

		छोड़कर कृषि में फेनिट्रोथियोन का प्रयोग प्रतिबंधित है।
10.	मेलाथियान (Malathion)	मैलाथियान का प्रयोग ज्वार, मटर, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, मूली, शलजम, टमाटर, सेब, आम और अंगूर पर प्रतिबंधित है।
11.	मैन्कोज़ेब (Mancozeb)	मैन्कोज़ेब को अमरूद, ज्वार और टैपिओका पर प्रयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है
12.	मिथाइल ब्रोमाइड (Methyl bromide)	इसका प्रयोग केवल सरकार / सरकारी उपक्रमो / सरकारी संगठनो / कीट नियंत्रण ऑपरेटर (pest control operator) द्वारा सरकारी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ जिनकी विशेषज्ञता को भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित किया गया है की कड़ी निगरानी में ही किया जा सकता है।
13.	मोनोक्रोटोफोस (Monocrotophos)	इसका प्रयोग सब्ज़ी वर्गीय फसलों में वर्जित है।
14.	ऑक्सीफ्लोरोफेन (Oxyfluorfen)	ऑक्सीफ्लोरोफेन का आलू और मूंगफली पर प्रयोग प्रतिबंधित है।
15.	ट्राईफ्लुरालिन (Trifluralin)	निर्माण, सूत्रण, बिक्री, परिवहन और इसके सभी प्रयोग (गेहूं में प्रयोग को छोड़कर), 8 अगस्त, 2018 से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए है। इसके अतिरिक्त लेबल और पत्रक पर एक चेतावनी संदेश शामिल किया जाना अनिवार्य है कि यह जलीय जीवों के लिए विषैला है अतः इसका प्रयोग पानी के स्त्रोतों, जलीय कृषि या मत्स्यपालन क्षेत्रों के समीप नहीं किया जाना चाहिए।
16.	कुनालफोस Quinalphos	कुनालफोस का प्रयोग जूट, इलायची और ज्वार पर प्रतिबंधित है

स्त्रोत:

https://ppqs.gov.in/sites/default/files/list_of_pesticides_which_are_banned_refused_registration_and_restricted_in_use_0.pdf **accessed on 30 june 2025**

इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर पीड़कनाशीयों से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकता है। कुछ प्रमुख जानकारियाँ निम्नलिखित है।

- भारत में आयात, निर्माण और प्रयोग के लिए प्रतिबंध पीड़कनाशी व पीड़कनाशी सूत्रणों की सूचि।
- उन पीड़कनाशीयों की सूचि जिनका निर्माण भारत में निर्यात के लिए तो किया जाता है परंतु भारत में इनके प्रयोग की अनुमति नहीं है। इसके

ISBN: 987-93-343-6466-8 कृषि ज्ञान सुधा - जुलाई 2025

उदाहरण है कैप्टाफोल 80% पाउडर (Captafol 80% Powder), डाईक्लोरवोस (Dichlorvos), निकोटिन सलफेट (Nicotin Sulfate), फोरेट (Phorate), ट्राईएज़ोफोस (Triazophos)।

- उन पीड़कनाशीयों की सूचि जिनके पंजीकरण को केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति द्वारा नकार दिया गया।
- टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान से जुड़ी जानकारी।
- पीड़कनाशीयों के पंजीकरण से संबंधित जानकारी।

निष्कर्ष

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की वेबसाइट (website) पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है की यह वेबसाइट पीड़क नियंत्रण एवं पीड़कनाशीयों से संबंधित सूचनाओं का खज़ाना है। सभी किसान भाईयों को इस वेबसाइट पर समय-समय पर जाकर पीड़क नियंत्रण एवं पीड़कनाशीयों से संबंधित सटीक एवं नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे यह लाभ होगा की किसान भाई लालची कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा गलत मार्गदर्शन किये जाने से बचेंगे एवं संस्तुतित पीड़कनाशीयों का प्रयोग कर विभिन्न पीड़कों का उत्तम नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे।

नोट: *इस जानकारी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता है अतः नवीनतम जानकारी के लिए समय समय पर वेबसाइट पर जाकर सत्यापन किया जाना आवश्यक है। (वेबसाइट का लिंक: https://ppqs.gov.in/hi/divisions/central-insecticides-board-registration-committee*

ISBN: 987-93-343-6466-8 कृषि ज्ञान सुधा - जुलाई 2025

समाप्त

ISBN: 978-93-343-6466-8

कृषि ज्ञान सुधा